श्री रामायण यादव, अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अधीन)

विधि और न्याय मंत्रालय,विधि कार्य विभाग,

कमरा सं0 408, "ए" विंग,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

******

अपील सं0 10/एएस(आर.वाई.)/आई0सी0/आरटीआई/2016 तारीख 26.05.2016

के मामले में :

श्रीमती मन्तेश,
पत्नी श्री श्रीपाल सिंह,
ग्राम कासना, गली नं0 ।,
निकट देवी मंदिर, कासना,
ग्रेटर नोएडा,जिला - गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश ।

..... अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,
विधि और न्याय मंत्रालय,
विधि कार्य विभाग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

..... प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांक 26.05.2016

श्रीमती मन्तेश (यहां इसके पश्चात अपीलार्थी) ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन दिनांक 10.3.2016 के अपने आवेदन-पत्र (इस विभाग में दिनांक 14.3.2016) को प्राप्त) के तहत अपनी पूर्व याचिका दिनांक 10.2.2016 पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछा था ।

2. विधि कार्य विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (यहां इसके पश्चात प्रत्यर्थी) ने अपने दिनांक 4.3.2016 के उत्तर के तहत अपीलार्थी को यह सूचित किया था कि अपीलार्थी के दिनांक 10.2.2016 की याचिका का संबंध इस विभाग से न होने के कारण विभाग के लोक शिकायत अनुभाग ने अपने दिनांक 23.3.2016 के पत्र के द्वारा अपीलार्थी की दिनांक 10.2.2016 की उक्त याचिका को उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तांतरित कर दिया है और इस बारे में आगे की कार्रवाई की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त की जाए ।

30/9/16

3. प्रस्तुत अपील के तहत अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के उपर्युक्त जवाब के संदर्भ में कहा है कि :-

(1). आपके कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को सी0बी0आई0 जांच करवाने हेतु जो याचिका 23.3.2016 को अंतरित की गई थी, उसके अग्रसारण पत्र की प्रतिलिपि (जो सूचना के पत्र के साथ संलग्न नहीं की गई थी) ।

(2). यह कि यदि उपरोक्त याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ने अब तक कोई कार्रवाई इस संबंध में की है और इस संदर्भ में आज तक आपसे कोई पत्र-व्यवहार किया गया है, तो उसकी प्रतिलिपि ।

(3). यह कि प्रार्थिनी को उत्तर प्रदेश सरकार से इस संबंध में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, और जानबूझ कर वह कोई सूचना देने को तैयार नहीं है, तो उसमें कार्रवाई आपके स्तर से हो सकती है या किसी अन्य स्तर से ।

4. इस मामले में दिनांक 25.5.2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कमरा संख्या 408- ए - विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में सुनवाई निर्धारित की गई थी और इस बारे में दोनों पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें सूचित किया गया था कि यदि कोई भी एक पक्षकार सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ,तो आगे की कार्रवाई की जाएगी और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामले का निपटान कर दिया जाएगा । अपीलार्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ और न हीं उसके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के बारे में कोई लिखित सूचना दी गई ।

5. मैंने अपील के ज्ञापन और प्रत्यर्थी द्वारा दी गई सूचना को देख लिया है । मैं प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की आरटीआई याचिका पर की गई कार्यवाही से सहमत हूं क्योंकि अपीलार्थी ने अपनी याचिका में सीबीआई से केस की जांच कराने की मांग की है जो विधि कार्य विभाग की परिधि में नहीं आता । तदनुसार, अपील का निपटान किया जाता है ।

6. यदि अपीलार्थी इस आदेश से संतुष्ट नहीं है / व्यथित है, तो वह 90 दिन के भीतर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकता है ।

रा० या०
(रामायण यादव)
अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्रीमती मन्तेश, पत्नी श्री श्रीपाल सिंह, ग्राम कासना, गली नं0 ।, निकट देवी मंदिर, कासना, ग्रेटर नोएडा, जिला - गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
2. श्री के0 गिलग्वन थंग, उपसचिव, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, विधि कार्य विभाग,